



आयुक्त अंकेक्षण , केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय , जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex. AUDIT, JODHPUR

जी -105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बासनी , डीजल शेड के पास , जोधपुर -342003

G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

फा.सं. GADT/II(22)/60/2024-ADMN/372

Date:- .04.2024

हाउसकीपिंग कार्यों हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जी-105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर स्थित कार्यालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हाउसकीपिंग कार्यों हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से GeM Portal द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

1. विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण विभागीय वेबसाइट GeM पोर्टल अथवा <https://cgstjaipur.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।
2. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाइट्स पर ही जारी किया जायेगा, समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

अधीक्षक (प्रशासन)

प्रतिलिपि -

1. ✓ अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड।



आयुक्त अंकेक्षण, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जोधपुर
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & C. Ex. AUDIT, JODHPUR
जी -105, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर -342003
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

हाउसकीपिंग कार्यों हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस आयुक्तालय में हाउसकीपिंग कार्यों हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से GeM Portal द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती हैं।

2. विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण अनुलग्नक I से VIII में वर्णित है एवं निविदा प्रस्तुत करते समय सभी अनुलग्नक पर हस्ताक्षर करके GeM पोर्टल पर अपलोड करना होगा। निविदा सूचना का विवरण अधीक्षक (प्रशासन), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09.30 से सायं 18.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा GeM पोर्टल एवं <https://cgstjaipur.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाइट्स से ही जारी किया जायेगा, समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

Signed by

 Singh

Date: 10/04/2024 15:11:34

अधीक्षक (प्रशासन)

अनुलग्नक -I

अ) कार्यालय का पूर्ण पता, क्षेत्रफल आदि का विवरण-

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस आयुक्तालय व अधीनस्थ सर्किल कार्यालयों में हाउसकीपिंग कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्यालय का पूर्ण पता व अनुमानित क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम व पता	अनुमानित कुल निर्मित व रिक्त एरिया
1	कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर, एवं अंकेक्षण सर्किल, जोधपुर, जी-105 न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर 342 001	13403 वर्ग फीट
2	सहायक आयुक्त, उदयपुर अंकेक्षण सर्किल, प्लॉट न. 9-10, खसरा न. 437-438, महाराणा प्रताप हाउसिंग सोसायटी, हिरणमगरी, सेक्टर-13, उदयपुर।	4230 वर्ग फीट
3	कार्यालय सहायक आयुक्त, भीलवाडा अंकेक्षण सर्किल, 1.11ए आजाद नगर, भीलवाडा	4055 वर्ग फीट
4	कार्यालय सहायक आयुक्त, बीकानेर अंकेक्षण सर्किल, चेतन महादेव मन्दिर के सामने, जयपुर रोड, बीकानेर	3972 वर्ग फीट
5	कार्यालय सहायक आयुक्त, कोटा अंकेक्षण सर्किल, सीआर भवन, सी.ए.डी. सर्किल, कोटा	2153 वर्ग फीट

(ब) निविदा प्रक्रिया-

1. निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी - (1) तकनीकी निविदा; एवं (2) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा के लिए अनुलग्नक- 'V' में व वित्तीय निविदा के लिए अनुलग्नक-'VI' एवं निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक-'VII') में निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग-अलग संलग्न करना होगा।

2. निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) केवल GeM Portal website <https://gem.gov.in> पर जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने या GeM Portal से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए GeM Portal हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बंध में इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

अनुलग्नक -II

योग्य निविदा के लिए शर्तें-

1. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, ई.एस.आई, भविष्य निधि व वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत होना चाहिए।
2. निविदाकर्ता को सफाई कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. फर्म का विगत तीन वर्षों में 10 लाख या अधिक का वार्षिक टर्नओवर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. निविदाकर्ता के पास वैध PAN (Permanent Account Number) होना चाहिए।
5. निविदाकर्ता को पिछले एक वर्ष के कम से कम 10 ठेकाधीन कर्मचारियों की पी.पी.एफ. कटौती व ई.एस.आई. कटौती की रसीद तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. निविदाकर्ता विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी व वस्तु एवं सेवाकर विवरणी निविदा के साथ संलग्न करें जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
7. यदि किसी फर्म को कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली गयी हो, तो वह फर्म निविदा भरने के योग्य नहीं है। इसके लिए निविदाकर्ता को Self-Undertaking देनी होगी। BOQ में मांगी गई सूचना के अलावा कोई भी जानकारी भरी गई तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
8. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि रु. 25,000/- अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जोधपुर के नाम में देय हो जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाएँ पाई गई या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के सफल प्रदर्शन के उद्देश्य से ठेके के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी जो किसी राष्ट्रीयकृत/कॉमर्शियल बैंक का हो, performance Security के तौर पर एक माह के भीतर-भीतर प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय, जोधपुर के नाम बनवाकर विभाग के पास जमा कराना होगा, जो कि सम्पूर्ण ठेका अवधि के समाप्ति (पूर्ण होने) के पश्चात भी अगले 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए तथा Performance Security के डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात ही बिना ब्याज के अमानत राशि (Bid Security) को लौटाया जायेगा।
9. यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा ठेकाधीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा performance Security जमा नहीं करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा उसके अगले निम्न उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next Lower Responsive Bidder) को उक्त न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
10. निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।
11. फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ ऑफिस जोधपुर या उस स्थान (बीकानेर/भीलवाड़ा/उदयपुर/कोटा) पर होना चाहिए, जिस स्थान के लिए फर्म निविदा भर रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाए।

12. निविदाकर्ता को उपरोक्त 'अ' पर दर्शाये गये कार्यालय के कुल क्षेत्रफल हेतु दर प्रति वर्ग फुट के हिसाब से दर्शानी होगी एवं कुल क्षेत्र हेतु हाउसकीपिंग कार्य के लिए प्रस्तावित श्रमिकों की संख्या को तकनीकी निविदा में दर्शाना होगा।
13. वित्तीय निविदा में हाउसकीपिंग कार्य के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले या प्रस्तावित कुल अकशल कामगारों/श्रमिकों की कुल मासिक (26 दिवस) दरें अंको व शब्दों दोनों में स्पष्टतः उल्लिखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी। दशमलव के बाद दो अंको के आधार पर ही गणना की जायेगी।
14. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
15. किसी भी निविदाकर्ता द्वारा कार्यदेश या उसके किसी भी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिये नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सबलैट) पर नहीं दिया जायेगा।
16. सभी योग्य निविदाओं का तुलनात्मक चार्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात सफल निविदादाता को यथानुसार सूचित कर दिया जाएगा।
17. सफल निविदादाता (फर्म) को आदेश प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि के भीतर-भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
18. निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व अपने व्यय पर किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में अधीक्षक (प्रशासन), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जोधपुर से सम्पर्क कर, हाउसकीपिंग हेतु साइट निरीक्षण कर सकता है।
19. वित्तीय निविदा खोलने से पहले समिति के सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा।
20. अनुलग्नक I में दर्शाये गए कार्यालयों के परिसर के परिवर्तन या कुल एरिया में परिवर्तन कि स्थिति में नए परिसर के एरिया के हिसाब से पूर्व निर्धारित प्रति वर्ग फीट दरों पर ही भुगतान किया जाएगा।

अनुलग्नक -III

(स) कार्य की निबंधन एवं शर्तें-

1. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए ठेकाधीन कर्मचारी कार्य दिवस और जब भी बुलाया जाये कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. ठेकाधीन कर्मचारियों के लिए कार्य का समय 09.00 बजे से 17.00 बजे तक रहेगा परन्तु सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि 17.00 बजे के बाद आकस्मिक कार्यों के लिए कुछ ठेकाधीन कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें।
3. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध करवाए गए अकुशल श्रमिक अनुभवी तथा प्रशिक्षित हों तथा स्वस्थ हों। ठेकाधीन कर्मचारी कार्यालय की मर्यादा, अनुशासन को कायम रखेंगे एवं कार्यालय के अधिकारियों के प्रति अनुशासनहीनता एवं अभद्रता प्रकट नहीं करेंगे और ना ही कार्यालय परिसर में धूम्रपान, मदिरा, मादक पदार्थ, पान-तम्बाकू आदि का प्रयोग करेंगे। सेवा प्रदाता अपने सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म एवं फर्म का परिचय पत्र उपलब्ध करवाएगा। सेवा प्रदाता कार्यालय में हाउसकीपिंग कार्य के लिए उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारियों का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर कार्यालय रिकार्ड के लिए उपलब्ध करवाएगा।
4. यदि कोई ठेकाधीन कर्मचारी किसी कार्य दिवस को अनुपस्थित होता है तो सेवा प्रदाता का दायित्व होगा कि वह अनुपस्थित कर्मचारी के स्थान पर उस दिन के लिए अन्य प्रतिस्थापन कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा।
5. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ठेकाधीन सफाई कर्मचारी कार्यालय की साफ-सफाई 09.30 बजे से पूर्व पूर्ण करेंगे। ठेकाधीन कर्मचारी अनुबंध में वर्णित सभी कार्यों को समयानुसार पूर्ण करेंगे। सभी ठेकाधीन कर्मचारी कार्यालय द्वारा नामित किए गए अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। सेवा प्रदाता द्वारा एक पूर्णकालिक प्रबंधक की नियुक्ति की जाएगी जो कि हाउसकीपिंग कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा कार्यालय द्वारा नामित अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
6. Workmen's Compensation Act, 1948 के तहत सेवा प्रदाता इस कार्यालय में लगाये गये अपने कर्मचारियों के सभी तरह के बीमा करवाने एवं सुरक्षा संबंधित समस्त कार्यवाही अनुबंध होने के तुरन्त पश्चात न्यूनतम समय में पूर्ण करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह कार्यालय ठेकाधीन कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्य के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी/दुर्घटना के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। ठेकाधीन कर्मचारियों की कार्य स्थल पर सभी तरह की जिम्मेदारियां/दावों/पहचान आदि की समस्त जिम्मेदारी स्वयं सेवा प्रदाता की होगी।
7. सेवा प्रदाता द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारियों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय में उनकी निर्धारित सामान्य इयूटी के अतिरिक्त किसी तरह की अन्य प्राइवेट कार्य/गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।
8. सेवा प्रदाता को भारत सरकार द्वारा लागू चिल्ड्रन एक्ट की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी तथा कोई अवयस्क/नाबालिग कर्मचारी को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
9. सेवा प्रदाता/ठेकेदार अपने कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन, भत्ते या अन्य लाभों के भुगतान आदि केन्द्र सरकार के सभी विधि, नियमों एवं नोटिफिकेशन एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अथवा जो भी अधिनियम लागू हो की पालना करने के लिये उत्तरदायी होगा। यह कार्यालय इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार के विभिन्न विधि, नियमों, नोटिफिकेशन, आदेश एवं एक्ट के तहत आने वाले किसी भी तरह की जिम्मेदारियां अथवा किसी/सभी तरह के दावों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
10. सेवा प्रदाता को केन्द्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के तहत एवं भारत का राज पत्र, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना को

ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी, का भुगतान करना होगा तथा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत मजदूरी बढ़ने पर बढ़ी हुई दर से अपने कर्मचारियों को भुगतान करवाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। अनुबंध की तारीख से भविष्य में जो भी वैधानिक जिम्मेदारी होगी वह सेवा प्रदाता को वहन करनी होगी। इसके लिये यह कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। सेवा प्रदाता को उतने ही कर्मचारी लगाने होंगे जितने विभाग को आवश्यक हो, ताकि उन्हें वह अपने स्तर पर न्यूनतम मजदूरी भुगतान कर सके।

11. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी से मजदूरी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारी सेवा प्रदाता फर्म के कर्मचारी होंगे ना कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग के। सेवा प्रदाता द्वारा हाऊसकीपिंग के कार्यों को सम्पन्न करवाने हेतु लगाये जाने वाले कर्मचारी इस कार्यालय या अन्य सरकारी कार्यालयों में पार्ट/फुल टाइम के लिये नियमित/स्थाई होने का दावा नहीं कर सकते।
12. किसी भी ठेकाधीन कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, बेईमानी, चोरी, टूट-फूट, अवैधानिक कृत्य आदि के लिए सेवा प्रदाता उत्तरदायी होगा तथा ऐसे किसी भी नुकसान के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष रूप सीधे ही अपने कर्मचारियों की किसी प्रकार की झूठी, विवाद यथा दुर्घटना, बीमा क्लेम, लाभ, भत्ते आदि के लिए जिम्मेदार होगा एवं उनके द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की असावधानी से कार्यालय के सामान की चोरी या टूट-फूट, किसी भी तरह के दावों की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। उक्त कृत्यों से होने वाले नुकसान की भरपाई सेवाप्रदाता को किए जाने वाले मासिक भुगतान में से की जाएगी।
13. सेवाप्रदाता राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सभी विधिक नियमों, विनियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। सेवाप्रदाता को विभिन्न एक्ट/नियमों के तहत वांछित रजिस्टर्स, दस्तावेजों आदि का रखरखाव करना होगा तथा संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उन्हें जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
14. सेवाप्रदाता द्वारा इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले अनुबंध में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना होगा। सेवाप्रदाता द्वारा किये जाने वाले अनुबंध एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकार की गई दरों में किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिये। यदि किसी तरह का विरोधाभास या सेवाओं में कमी पाई गई तो इस कार्यालय द्वारा 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।
15. सेवाप्रदाता से हाऊसकीपिंग कार्यों के लिए निर्धारित अवधि के लिए अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध को कार्यालय की आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है इस विभाग को किसी भी समय न्यूनतम 15 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा हाऊसकीपिंग के संबंध में यदि विभागीय नियमों में परिवर्तन आता है तो अनुबंध की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को हटाया जा सकता है अथवा तुरन्त प्रभाव से अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
16. हाऊसकीपिंगकार्यों के लिए आवश्यक सभी सामग्री यथा झाड़ू, पोंछा, डस्टर, बाल्टी, मग, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट फ्रेशनर, यूरिनल केक्स, क्लीनिंग पाउडर, फिनायल, हैण्डवाश लिक्विड, टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश, वाटर वायपर्स, डस्टबिन, रूम स्प्रे, स्क्रबिंग पैड, नेफथलीन गोलियाँ, ग्लास क्लीनर, ब्रासो, साबुन आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

अनुलग्नक -IV

(द) भुगतान की शर्तें

1. सेवाप्रदाता द्वारा हाउसकीपिंग कार्य हेतु लगाये गये अकुशल कामगारो/श्रमिकों का सम्मिलित कुल मासिक देय भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करना होगा। सेवाप्रदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रचलित टीडीएस की कटौती कर भुगतान किया जाएगा। उक्त निविदा के सापेक्ष सभी प्रकार के कर देयताओं (जी.एस.टी. को छोड़कर) को सेवाप्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा इस संदर्भ में सेवाप्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा प्रदान करने के दौरान उत्पन्न हुये सभी प्रकार के कर (जी.एस.टी. को छोड़कर) व अन्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन सुनिश्चित करेगा व तदनुसार दस्तावेजों/रिकार्ड का रखरखाव करेगा। सेवाप्रदाता को अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में राशि जी.एस.टी. को छोड़कर सभी टैक्स सहित दर्शायी जाये। जी.एस.टी. का भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
3. सेवाप्रदाता को प्रतिमाह बिल के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लगाये गये कामगारो को केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत तय की गई मजदूरी की दरों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है तथा पीएफ/ईएसआई व सेवाकर के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। उसे समयानुसार पीएफ ईएसआई तथा जीएसटी से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सेवाप्रदाता द्वारा प्रतिमाह इस कार्यालय में कार्य पर लगाये गये प्रत्येक श्रमिक का नाम, भुगतान की गई राशि, कटौती का विवरण, पी.एफ. खाते में जमा राशि एवं ई.एस.आई. की राशि का स्टेटमेंट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
4. सेवाप्रदाता द्वारा हर माह पिछले माह की मजदूरी का भुगतान करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश इस कार्यालय द्वारा मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों को समय पर पूर्ण भुगतान करना होगा।
6. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल/जमा करवाई गई Performance Security में से उनके मजदूरों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के बैंक खाते में बिल का भुगतान वेतन एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर द्वारा ई-पेमेन्ट से किया जायेगा।
8. अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने पर या हाउसकीपिंग कार्यों में शिकायत प्राप्त होने या कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा सेवाप्रदाता के बिल में से उचित राशि की कटौती की जाएगी। सेवाप्रदाता के किसी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर या संतोषजनक कार्य नहीं करने पर न्यूनतम 500/- प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जाएगी तथा उक्त राशि की वसूली सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से की जाएगी। शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा सेवाप्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा तथा यह किसी प्रकार के विवाद का विषय नहीं होगा।

हाउसकीपिंग का मुख्य कार्य है कि कार्यालय भवन/परिसर को साफ-सुथरी स्थिति में स्वच्छ वातावरण में रखना तथा कार्यालय का उचित रख-रखाव करना। इस हेतु सेवाप्रदाता को निम्न कार्य करवाने होंगे-

दैनिक कार्य

1. कार्यालय भवन एवं परिसर की सफाई, झाड़ू लगाना एवं पौछा लगाना।
2. टेबिल, चेयर्स, विजिटर्स चेयर्स, सोफा, अलमारी आदि फर्नीचर एवं कम्प्यूटर, टेलीफोन, फैक्स, जेरोक्स आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटमों को झाड़ना व पौछना।
3. दरवाजों, खिड़कियों, बोर्ड पार्टीशन्स, ग्लास एवं एलुमिनियम पार्टीशन्स, चैनल्स आदि की सफाई।
4. टॉयलेट में डब्ल्यूसी, यूरिनल्स, वाशबेसिन को फिनायल/सर्फ/हार्पिक आदि मिले पानी से दिन में कम से कम दो बार और आवश्यक होने पर अधिक बार धोना तथा सभी सेनिटरी फीटिंग्स, बाथरूम टाइल्स एवं मिरर को साफ करना।
5. पूरे कार्यालय का कचरा तथा वेस्ट पदार्थ निर्धारित स्थान पर समेटना तथा नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना।
6. वाहन स्टैण्ड, कार्यालय का बाहरी परिसर इत्यादि साफ करना
7. प्रशासन की आवश्यकता पर फर्नीचर तथा अन्य मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, फाइलों को यथास्थान पहुँचाना।
8. डोरमेट्स, कारपेट, आर्टिफिशियल प्लान्ट्स आदि को साफ करना।
9. कार्यालय के अन्दर लगाए गए गमलों में रोजाना पानी डालना। पौधों के खराब पत्तों/ तहनियों को हटाना।
10. विविध कार्य जैसे कमरों में रिफ्रेशमेंट सर्व करना/पानी पिलाना आदि। मीटिंग्स/सेमीनार आदि में रिफ्रेशमेंट सर्व करना/चाय-पानी पिलाना।

साप्ताहिक कार्य

1. सप्ताह में एक बार कार्यालय के सभी कक्षों में फिनिट की स्प्रे करवाना।
2. कार्यालय भवन के शीशे, दरवाजे, खिड़कियों, बुक्स, फाइलों, अलमारियों एवं अन्य फिटिंग्स जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, कम्प्यूटर, टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट्स, कुलर्स, ए.सी. एवं अन्य प्लास्टिक उपकरणों आदि की साफ-सफाई, डस्टिंग करवाना एवं आवश्यकतानुसार कोलीन आदि लिक्विड का प्रयोग करना।
3. सप्ताह में एक बार वाटर कूलर साफ करवाना।
4. कार्यालय भवन के कमरों, गैलेरियों, बरामदों एवं सिढ़ियों आदि में मकड़ी के जालों को ब्रश का प्रयोग करके साफ करवाना।
5. कार्यालय भवन के निर्मित एरिया मय सीढ़ियाँ, बरामदा, टॉयलेट टाइल्स आदि की सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से डिजर्ट आदि से धुलाई करवाना।
6. कार्यालय के सभी प्रकार के बोर्डों की सप्ताह में एक बार साफ-सफाई करवाना।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर कार्यालय के चुनिंदा क्षेत्र की भी साफ-सफाई करवानी होगी जिसमें कार्यालय के बाहर के रोड, नालियाँ, पानी की टंकी एवं गटर लाईन से संबंधित वह क्षेत्र भी शामिल होगा जो परिस्थितियों के कारण रुकावट पैदा करता हो।
8. अन्य कार्य।

उक्त हाउसकीपिंग कार्यों को सही ढंग से करवाने के लिए सेवाप्रदाता सुनिश्चित करेगा कि -

- (क) कार्यालय धूलरहित, साफ-सुथरा, व दाग-धब्बों रहित हो।
- (ख) कार्यालय के किसी हिस्से से बदबू नहीं आनी चाहिए।
- (ग) फर्नीचर, फिक्सचर व मशीनरी आदि की प्राकृतिक चमक बरकरार रहे तथा उन पर स्क्रेच या दाग-धब्बे नहीं हों।
- (घ) फर्नीचर/फाईलें साफ-सफाई के बाद यथा-स्थान रखी जायें।
- (च) उक्त साफ-सफाई कार्यों से कार्यालय में किसी प्रकार का शोर या व्यवधान ना हो तथा कार्यालय गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे।
- (छ) कचरे का उचित निस्तारण किया जाए।
- (ज) इस कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे तक कार्यालय परिसर की धुलाई, साफ-सफाई एवं डस्टिंग सम्पन्न करवानी होगी तथा सभी टेबल, कुर्सीयाँ साफ कर व्यवस्थित करवानी होगी। सेवाप्रदाता स्वयं या अपने सुपरवाइजर से उक्त समय पश्चात कार्यालय परिसरों का निरीक्षण करायेगा तथा आवश्यकता होने पर साफ-सफाई, डस्टिंग भी करायेगा।
- (झ) सेवाप्रदाता को सभी सेफ्टी आईटम जैसे मास्क, हाथों में रबड़ के दस्ताने, रबड़ के लम्बे जूते आदि अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने होंगे।

मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हैं।

हस्ताक्षर मय तिथि

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म का नाम

मोहर

अनुलग्नक-V

तकनीकी निविदा

हाउसकीपिंग कार्यों की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व-योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

1.	फर्म/संस्था का नाम	
	• डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराईटर का नाम	
	• पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल/फैक्स नम्बर	
	• सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम/पता/टेलीफोन नम्बर)	
	• संस्था का विवरण (क्या फर्म प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी है)	
	• आयकर पैन नम्बर (फोटोप्रति संलग्न करें) विगत 3 वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें।	
	• GST पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति संलग्न करें) विगत 3 वर्ष की GST विवरणिका संलग्न करें।	
	• रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेंट फंड संख्या (प्रति संलग्न करें)	
	• ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)	
	• गत तीन वर्षों का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्य आदेश/सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
	• अन्य सरकारी/ पब्लिक अंडरटेकिंग जहाँ वर्तमान में कार्य लिया हो कि सूचि मय प्रमाण पत्र	
	• फर्म के कुल स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या	
	• हाउसकीपिंग कार्य के लिये प्रस्तावित अकुशल श्रमिकों/कामगार की संख्या।	
	• धरोहर राशि का विवरण	
	• विगत तीन वर्षों की सम्बंधित लेखों की प्रति संलग्न करें।	
	• फर्म का ऑफिस/अधिनस्थ ऑफिस का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
	• कम से कम 10 ठेका अधीन कर्मचारियों की पी.पी.एफ. कटौती की ई.सी.आर. व बैंक रसीद	

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो हाउसकीपिंग के अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि

हस्ताक्षर कर्ता का नाम

फर्म का नाम

मोहर

अनुलग्नक-VI**Financial Bid****Price Bid**

- a. Price bid undertaking
- b. Schedule of price bid in the form of BOQ

Price Bid Undertaking

From: (Full Name and address of the Bidder) _____

To,

Dear Sir/ Madam,

- c. I submit the Price Bid for _____ and related activities as envisaged in the Bid document.
- d. I have thoroughly examined and understood all the terms and conditions as contained in the Bid document, and agree to abide by them.
- e. I offer to work at the rates as indicated in the price Bid, अनुलग्नक VI inclusive of all applicable taxes.
- f. I/We undertake that I/We have carefully studied all terms and conditions of the tender and shall abide by them. Further, it is certified that I/We have never been blacklisted by any Govt./PSU Department.

Yours faithfully,

Signature of authorised representative.

अनुलग्नक-VII

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: _____

Name of Tender / Work: -

Dear Sir,

1. I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

as per your advertisement, given in the above-mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _____ to _____ (including all documents like अनुलग्नक (s), schedule(s), etc.), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above-mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organisation shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

अनुलग्नक-VIII**UNDERTAKING BY THE BIDDER**

1. I/We undertake that my/our firm M/s has not been blacklisted by any Govt. Department/Public Sector Undertaking/Autonomous Body.
- 2..... Son/Daughter/Wife of Shri
..... Proprietor/Partner/Director/
Authorized signatory of M/s am
competent to sign this declaration and execute this tender document.
3. I have carefully read and understood all the term and conditions of the tender and undertake to abide by them.
4. The information / documents furnished along with the above application are true and correct to the best of my knowledge and belief. I/ We, am/are well aware of the fact that furnishing of any false information / fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.
5. I/We understand that in case any deviation is found in the above statement at any stage, my/our concern/firm/co. shall be blacklisted and shall not have any dealing with the Department in future.

Date:

Place:

Signature of the authorized Signatory of the firm/
Company/Organization
Office Stamp/Seal: